जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 21 संख्याः 55 प्रभात जालोर, मंगलवार 2 जून, 2026 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

# टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी फ़र्ज़ी हस्ताक्षर के मामले में फंसे

## उन पर यह आरोप टीएमसी के ही तीन विधायकों ने लगाया है और कई विधायक इन बागी विधायकों के पक्ष में एकजुट हो रहे हैं, साफ लग रहा है टीएमसी टूट रही है

- आरोप है कि उन्होंने प.बंगाल विधानसभा स्पीकर को, तृणमूल विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने के लिए जो लैटर भेजा था, उसमें कुछ विधायकों के फर्ज़ी हस्ताक्षर हैं।
- नव निर्वाचित विधायक ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहा व अरुप रॉय ने कहा कि पत्र में उनके हस्ताक्षर नहीं है। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।
- इसी बीच पता चला है कि तृणमूल के तीस विधायकों ने दक्षिण कलकत्ता के होटल में गुप्त मीटिंग की थी। जबकि ममता बनर्जी ने नए विधायकों की जो मीटिंग बुलाई थी, उसमें मात्र 20 विधायक आए और 50 से ज्यादा ने ममता के आदेश की अवहेलना की।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 जून। तृणमूल कांग्रेस टूटने के कगार पर है। पार्टी के दो नवनिर्वाचित विधायकों ने खुलासा किया है कि पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने प.बंगाल विधानसभा स्पीकर को जो पत्र लिखा था, जिसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद का दावा किया गया था, उसमें फर्जी हस्ताक्षर पेश किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कई विधायक अब इन बागी विधायकों के साथ खड़े हो रहे हैं।

पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा में अपनी पार्टी के विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने का दावा पेश किया था। इसके लिए उन्होंने एक पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था, जिसमें 30 से अधिक विधायकों के हस्ताक्षर होने का दावा किया गया था।

अभिषेक बनर्जी पर "आपराधिक साजिश, जालसाजी और धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी" के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने उन विधायकों के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया था, जिनके बारे में कहा गया था कि वे उपस्थित थे और उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन बाद में उन कई विधायकों ने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को दिए गए उस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।

तथापि, अब तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी ने शिकायत की है कि विधानसभा अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में नए विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी तरीके से लगाए गए थे। पार्टी में विद्रोह का माहौल है और कई विधायक दल, की औपचारिक बैठकों से दूरी बना रहे हैं।

पार्टी के वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे गए

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## ब्लूटूथ से नकल कराने वाले को जमानत नहीं मिली

- दो साल से जेल में बंद तुलछाराम ने बड़े भाई, जो वेंटिलेटर पर है, की सेवा के लिए जमानत मांगी थी।

जयपुर, 1 जून। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1, महानगर द्वितीय ने राजस्व अधिकारी भर्ती, 2022 में ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने के मामले में नकल सरगना तुलछाराम कालेर को 15 दिन की अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी के आपराधिक इतिहास और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि वह पिछले दो सालों से जेल में है। उसके बड़े भाई बीकानेर के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं और भाई की सेवा के लिए उसे 15 दिन की अंतरिम जमानत दी जाए। इसका विरोध करते हुए मामले के विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी तुलछाराम के खिलाफ अजमेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर के विभिन्न थानों में पेपर लीक, धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के कुल 14 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे संगठित नकल गिरोह के मुख्य सूत्रधार को अंतरिम जमानत देना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। प्रार्थना पत्र

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# अब भाजपा का फोकस राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत पाने पर है

## 18 जून को राज्यसभा की 27 सीटों का चुनाव होगा

- वर्तमान में राज्यसभा में एनडीए के 148 सांसद हैं और सत्ता पक्ष को 27 सीटों में से 17-18 सीटें मिलने की उम्मीद है।
- हरेक राज्यसभा चुनाव की तरह इस बार भी क्रॉस वोटिंग का खतरा है, विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस काफी सतर्कता बरत रही है कि क्रॉस वोटिंग ना हो।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 जून। राज्य विधानसभा के चुनावों के बाद राजनीतिक समीकरण बदल जाने के बीच, इस महीने के अंत में 27 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव अगली बड़ी चुनावी घटना होंगे। क्रॉस-वोटिंग की संभावनाओं के कारण इन चुनावों पर सभी की नज़रें टिकी रहेंगी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 18 जून को होने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार रात किया। बताया जाता है कि बैठक में अन्य मुद्दों के साथ राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई।

भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को विश्वास है कि इस चुनाव के बाद राज्यसभा में उसकी संख्या 150 के पार पहुंच जाएगी और वह दो-तिहाई बहुमत के और करीब आ जाएगा। वर्तमान में उच्च सदन में एनडीए के 148 सांसद हैं और अनुमान है कि वह चुनाव में उपलब्ध 27 सीटों में से 17-18 सीटें जीत सकता है।

यह चुनाव ऐसे समय हो रहा है, जब कई प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तथा केन्द्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू शामिल हैं।

राज्यसभा चुनावों में क्रॉस-वोटिंग हमेशा एक बड़ी चिंता का विषय रहती है। इस बार राजनीतिक विश्लेषकों की निगाह विशेष रूप से मध्य प्रदेश पर रहेगी, जहां तीन सीटों के लिए चुनाव होना है। कांग्रेस के पास एक सीट जीतने लायक समर्थन तो है, लेकिन उसके पास केवल छह अतिरिक्त वोट हैं, जिससे क्रॉस-वोटिंग का खतरा बना हुआ है।

ऐसी स्थिति में कांग्रेस किसी वरिष्ठ नेता पर दांव लगा सकती है। लेकिन, दिग्विजय सिंह के राज्यसभा में लौटने से इनकार करने के बाद पार्टी को एक मजबूत उम्मीदवार तलाशना होगा।

मध्य प्रदेश में भाजपा के दो सीटें जीतने की संभावना है और जॉर्ज कुरियन को संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है।

इस चुनाव का एक बड़ा निष्कर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। कर्नाटक में पार्टी की संख्यात्मक स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के तीन सीटें जीतने की संभावना है, जिनमें खड़गे की सीट भी शामिल होगी।

राजस्थान में भाजपा के दो सीटें जीतने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को एक सीट मिलने की उम्मीद है। भाजपा की ओर से रवनीत सिंह बिट्टू को संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा के नामों पर विचार कर रही है।

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# सात नई बुलेट ट्रेन्स चलाने की तैयारी में है केन्द्र सरकार

## सूत्रों ने बताया कि ज्यादा रैवेन्यु देने वाले क्षेत्रों में हाई स्पीड रेल लाइन बनाने का काम शुरु हो चुका है

- दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर में दिल्ली से आगरा के लिए और सूरत-नागपुर संभाग के दनकुनी-सूरत फ्रेट कॉरिडोर में हाई स्पीड रेल लाइन बनाई जाएगी।
- दिल्ली-आगरा हाई स्पीड ट्रेन के लिए मथुरा में इतौली गाँव के पास स्टेशन बनाया जाएगा, इसके लिए भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया भी शुरु हो चुकी है।
- हैदराबाद की कंपनी आरवी एसोसिएट्स को 2100 किलोमीटर लंबे दनकुनी-सूरत फ्रेट कॉरिडोर के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम सौंपा गया है, कंपनी ने इस पर काम शुरु कर दिया है।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 जून। सात हाई स्पीड रेल लाइनों के साथ-साथ नई दनकुनी-सूरत मालवाहक कॉरिडोर परियोजना को चरणबद्ध और क्रमिक तरीके से लागू किया जाएगा। जिन क्षेत्रों से अधिक राजस्व मिलने की संभावना है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पहले विकसित किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक चरण में दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर के अंतर्गत दिल्ली-आगरा लाइन तथा प्रस्तावित दनकुनी-सूरत मालवाहक कॉरिडोर (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) के सूरत-नागपुर खंड पर कार्य शुरू किया जाएगा।

पश्चिम एशिया के युद्ध से उत्पन्न ऊर्जा संकट के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में आई मंदी के बावजूद, भारत सरकार इन ज्यादा लागत वाली परियोजनाओं को लागू करने के प्रति अपनी गंभीरता प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रही है। हैदराबाद स्थित अरवी एसोसिएट्स, जिसे 2100 किलोमीटर लंबे दनकुनी-सूरत मालवाहक कॉरिडोर की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है, हाल के सप्ताहों में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन (डीएफसीसी) के अधिकारियों के साथ बैठकों में सक्रिय रूप से शामिल रही है। अधिकारियों के अनुसार, इन मीटिंगों में तकनीकी

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जज नियुक्त

- अब सुप्रीम कोर्ट में कुल 38 जज हो गए हैं।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 1 जून। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार, केन्द्र सरकार ने सोमवार को भारत के सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी, जिससे देश की सर्वोच्च अदालत में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई (मुख्य न्यायाधीश के अलावा, 37 न्यायाधीश)।

नव नियुक्त न्यायाधीश हैं: न्यायमूर्ति शील नागू, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख उच्च

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# ओमान से पैक्ट ने भारत को होर्मुज़ का विकल्प दिया

## ओमान की लोकेशन ऐसी है, जहाँ से सलालाह और दुक्म जैसे प्रमुख बंदरगाहों तक आसानी से पहुँचा जा सकता है, भले ही होर्मुज़ स्ट्रेट अवरुद्ध हो

- ग्लोबल ट्रेड रिसर्च थिंक टैंक के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि ओमान भारत के लिए एक विश्वसनीय व्यापारिक व एनर्जी "गेटवे" बना रहेगा और खाड़ी में चल रहे वर्तमान संकट को देखते हुए इससे भारी लाभ होगा।
- गत वर्ष दिसम्बर में प्र.मंत्री मोदी ने मस्कट दौरे में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता एक जून से लागू हो गया है, जिसके तहत भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 1 जून। भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौता (सी. ई. पी. ए.), जिसके तहत भारत के कई श्रम-प्रधान निर्यात उत्पादों को शून्य शुल्क (जीरो ड्यूटी) पर बाजार तक पहुंच मिलेगी, 1 जून से लागू हो गया है। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर पिछले वर्ष दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मस्कट यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।

इस समझौते का सबसे बड़ा महत्व ओमान की भौगोलिक स्थिति में निहित है। होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान के नियंत्रण के कारण सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत आने वाले तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन खाड़ी के अधिकांश देशों के विपरीत, ओमान का अधिकांश समुद्री तट इस होर्मुज़ स्ट्रेट के बाहर सीधे अरब सागर और ओमान की खाड़ी से जुड़ा हुआ है।

थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जी. टी. आर. आई.) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि ओमान की रणनीतिक स्थिति के कारण सलालाह और दुक्म जैसे प्रमुख बंदरगाह तब भी सुलभ बने रहते हैं जब स्ट्रेट से होने वाला यातायात बाधित हो जाता है।

श्रीवास्तव ने एक बयान में कहा, "इसी वजह से खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष या अस्थिरता के दौरान भी ओमान व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक भरोसेमंद द्वार बना रह सकता है।" उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा खाड़ी संकट ने इस लाभ को स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है।

भारत का प्रमुख खाड़ी देशों से आयात अप्रैल 2025 में लगभग 15 अरब डॉलर से घटकर अप्रैल 2026 में 9.8 अरब डॉलर रह गया। इसी अवधि में भारत का निर्यात 4.4 अरब डॉलर से घटकर 2.7 अरब डॉलर पर आ गया।

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## 'नीट-यूजी कम्प्यूटर आधारित नहीं होगी'

- सुप्रीम कोर्ट ने इस सम्बंध में दायर याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इन्कार किया।

नई दिल्ली, 01 जून। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 की नीट-यूजी परीक्षा को कंप्यूटर आधारित मोड के माध्यम से आयोजित करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।

यह याचिका जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की आंशिक कार्यदिवस वाली बेंच के समक्ष पेश की गई। कोर्ट ने मामले को अवकाश के बाद सूचीबद्ध किया है। जस्टिस नरसिम्हा ने टिप्पणी की, वे (एनटीए) परीक्षा को दोबारा आयोजित कर रहे हैं। उन पर कितना दबाव है। हम अवकाश के बाद इस पर चर्चा करेंगे।

# 'प्रक्रिया एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं'

## हाईकोर्ट ने 7 साल से अटके 528 करोड़ रु. के आर्बिट्रेशन पर हैरानी और नाराज़गी जताई

- अदालत ने एच.सी.एल. इंफोसिस्टम्स और जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम के इस विवाद को एक माह में निपटाने के आदेश दिए
- अदालत ने लंबी अवधि के बावजूद अवार्ड जारी नहीं करने और सुनवाई टालने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि "यह रवैया आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) के नियम-उद्देश्यों के विपरीत है।"
- उल्लेखनीय है कि आर्बिट्रेशन में अधिकतर मामलों में नियमानुसार एक वर्ष के भीतर ही पूरी सुनवाई हो जानी चाहिए, हालांकि गिने-चुने मामलों में ही 6 माह का अतिरिक्त समय भी मिलता है।

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने एच.सी.एल. इंफोसिस्टम्स लि. और जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम के साथ चल रहे 528 करोड़ के भुगतान विवाद में फैसला दिया है कि अगले एक माह में आर्बिट्रेटर इस मामले की सुनवाई पूरी करें और उसके 15 दिन के भीतर ही अपना अवॉर्ड भी जारी करे। उल्लेखनीय है कि, इस प्रकरण में वर्ष 2019 से आर्बिट्रेशन लंबित हैं और दोनों पक्षों ने आर्बिट्रेशन की फीस के पेटे 13 करोड़ रुपए चुकाए हैं।

अदालत ने करीब 7 साल की लंबी अवधि बावजूद अवॉर्ड जारी नहीं किए जाने और अलग-अलग कारणों की वजह से सुनवाई टाले जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि यह रवैया आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) के नियम-उद्देश्यों के विपरीत है। उल्लेखनीय है कि आर्बिट्रेशन में अधिकतर मामले 1 वर्ष के भीतर ही पूरी सुनवाई हो जानी चाहिए, जिसका गिने-चुने मामलों में ही 6 माह का अतिरिक्त समय मिलता है।

यह मामला रोचक और महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि, आर्बिट्रेशन के नियम-कायदे इस उद्देश्य से बनाए थे कि अदालत के चक्कर काटे बिना ही दो पक्ष कानूनी व्यवस्था में अपना विवाद कम समय व उलझनों में सुलझा सके। आर्बिट्रेशन, कोर्ट के बाहर बड़ी कंपनियों और सरकारों के बीच उत्पन्न हुए विवादों को निपटाने का कारगर रास्ता इसलिए माना जाता था क्योंकि, बड़े भुगतानों के विवाद लंबे समय तक अदालतों में पैंडिंग रहने से कंपनियों और सरकार दोनों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है।

ज्ञात रहे कि एच.सी.एल. इंफोसिस्टम्स ने वर्ष 2009 में केन्द्र सरकार की पंचवर्षीय योजना के तहत राजस्थान में प्रोजेक्ट लिया था। इसके तहत उन्हें विद्युत छीजत 15 प्रतिशत घटाने, मीटरिंग, बिलिंग, कलेक्शन, जीआईएस, एनर्जी ऑडिट और नये विद्युत कनेक्शन देने जैसे कार्य करने थे। इसके साथ ही बिजली विभाग का स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा तैयार करना था। यह प्रोजेक्ट राजस्थान के 87 कस्बों और जिलों में चिन्हित 534 जगहों पर होना था। वर्ष 2019 में यह पूरा हो चुका, परंतु कंपनी का 528.20 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ। इस मामले में कंपनी के वकील का कहना है कि, उनके पास कार्य की पूर्णता का प्रमाण पत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) है, यह भुगतान से जुड़ा हुआ मामला है, जो वर्ष 2019 से लंबित चल रहा है।

ऐसे में एच.सी.एल. इंफोसिस्टम्स का जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम्स के साथ विवाद शुरू हो गया। इसके बाद यह प्रकरण सितंबर 2019 में आर्बिट्रेशन में पहुंच गया था, लेकिन करीब 1 वर्ष बाद जुलाई-2020 में पहली बार आर्बिट्रेशन का कोरम सुनवाई के लिए गठित हुआ। परंतु कोविड महामारी के चलते लंबे-लंबे अंतराल के साथ मामले की सुनवाई नहीं हो पायी, जबकि इस मामले की पूरी सुनवाई फरवरी 2023 तक पूरी हो जानी थी। परंतु दोनों पक्षों ने आर्बिट्रेशन की अवधि अगस्त-2023 तक बढ़ाए जाने पर सहमति दी, लेकिन प्रकरण में लगातार हो रही देरी के बाद एचसीएल ने कमर्शियल कोर्ट में याचिका दायर की। जहां अदालत ने 17 सितंबर 2024 को फैसला सुनाते हुए आर्बिट्रेशन के लिए 20 माह का अतिरिक्त समय (30 अप्रैल 2025 तक) दिया। इस आदेश में कमर्शियल कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई थी, जिसको चुनौती देते हुए एच.सी.एल. इंफोसिस्टम्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। परंतु हाईकोर्ट ने इन विशेष शर्तों को हटाते हुए कमर्शियल कोर्ट द्वारा समयावधि बढ़ाने को जायज माना।

जब इस तय समयावधि में भी मामले का निपटारा नहीं हुआ तो एच.सी.एल. इंफोसिस्टम्स पुनः कमर्शियल कोर्ट पहुंचा, जिस पर अदालत ने पुनः समयावधि बढ़ाते हुए 30 सितंबर 2026 तक का वक्त दे दिया। अब इस प्रकरण में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## प्रधानमंत्री ने गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर दुःख जताया

- उन्होंने कहा कि सुमन कल्याणपुर की सुरीली आवाज व भावपूर्ण गायन ने देश की सांस्कृतिक दुनिया को समृद्ध किया।

नई दिल्ली, 01 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकप्रिय गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर सोमवार को शोक व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सुरीली आवाज और भावपूर्ण गायन ने भारत की सांस्कृतिक दुनिया को समृद्ध किया और अपने गीतों के माध्यम से उन्होंने संगीत प्रेमियों और

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )